शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
E ISSN 2320 – 0871
17 अक्टूबर 2021
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

किशोर न्याय देखरेख व संरक्षण 2015 और किशोरों का बदलता स्वरूप : एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण

ओजस्कर पाण्डेय (शोधार्थी)
डॉ. विजय कुमार (अस्सिटेंट प्रोफेसर)
महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंफोर्मेशन टेक्नोलाजी
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, जहां न्यायपालिका की सम्प्रभुता एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं एवं अपराध बोध घटता जा रहा है। हमारी न्याय व्यवस्था वयस्कों पर केंद्रित है, परन्तु बाल एवं किशोर अवस्था के व्यक्ति जो अपराध करते हैं या उनके साथ हुए अपराध का वे शिकार झेलते हैं। उनकी सुनवाई तो है पर उतनी नहीं जितनी समय की मांग है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हर साल भारत में तकरीबन 18694 किशोरों को किसी अपराध में गिरफ्तार किया जाता हैं। किशोरों द्वारा किए जाने वाले आपराधिक कृत्यों एवं उनकी आपराधिक मानसिकता में तेजी से इजाफा हो रहा है, फिर भी किशोरों के मद्देनजर बनाए गए कानून न तो इतने प्रभावशाली हैं कि बाल अपराधों या बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके और न ही उनका कार्यान्वयन इतना सक्षम रूप से होता है कि उनसे समाज को कोई अच्छे परिणाम मिले। इसके साथ ही यदि बालक ऐसे कृत्य करते हैं जो समाज के नियमों के अनुरूप न हो या अवांछनीय व्यवहार करते हैं तो उसे विधि संघर्षरत किशोर की श्रेणी में रखा जाएगा। अर्थात् विधि विरूद्ध किशोर से तात्पर्य है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कोई अपराध कारित किया हो और अपराध कारित करते समय उसने 8 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। इस स्थिति में उनकी मानसिक स्थिति पर तो विकास में उनकी भागीदारी नगण्य हो जाएगी। 18 वर्ष से कम आयु के बालक यदि विधि का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो बाल सम्प्रेषण गृह उनके व्यवहार में परिवर्तन कर उनके पुनर्वास तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोडने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिससे किशोर देश के निर्माण एवं विकास में अपनी भागीदारी दे सके। इस शोध में विधि से संघर्षरत किशोरों के विकास एवं पुनर्वास में किशोर न्याय देखरेख अधिनियम 2015 व बाल सम्प्रेषण गृह की भूमिका का अध्ययन किया गया है। अध्ययन यह प्रदर्शित करता है कि बाल सम्प्रेषण गृह विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों में विभिन्न सुधारात्मक गतिविधियों के माध्यम से उनके व्यवहार में परिवर्तन एवं उनके व्यक्तित्व विकास के लिए कार्य करते हुए समाज में उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

मुख्य शब्द *: अवांछनीय व्यवहार, किशोर, विधि का उल्लंघन, पुनर्वास, बाल सम्प्रेषण गृह, अपराधबोध*

प्रस्तावना

भारत में किशोर अपराध एवं किशोरों के प्रति अपराध के मद्देनजर पहली बार सन् 1986 में एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया जो किशोरों और बच्चों की समस्याओं को रेखांकित करते हुए उनका उचित समाधान दे सके। इस कानून से पहले के संविधान और दंड संहिता में किशोरों और बच्चों के लिए जो कानून थे वे राज्यों के बनाए कानून थे। परन्तु 1986 के पश्चात देशभर के लिए एक समान कानून बनाया

गया। देश में एक समान कानून की आवश्यकता इसलिए थी। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार 1986 में एक नया कानून लेकर आई जिसमें किशोर न्याय एवं संरक्षण अंतर्गत सारे राज्यों के कानून आ गए और वे प्रभावहीन हो गए। नये कानून का केंद्र बिंदु कार्यप्रणाली को एक मजबूत ढांचा मुहैया करवाना था और एक ऐसा कानून भी जो सख्ती एवं कारगर रूप से लागू हो सके। ऐसे किशोर जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया हो, बाल सम्प्रेषण गृह उनके सर्वोत्तम हित को ध्यानमें रखते हुए उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था करता है। सम्प्रेषण गृह में निवास के दौरान बालकों को देखरेख, संरक्षण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बाल सम्प्रेषण गृह बालकों के साथ मित्रवत् व्यवहार अपनाते हुए उन्हें आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ आजीविका संबंधी प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराकर उन्हें समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रयास करते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 54 के अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर निरीक्षण समितियों का गठन किया जाएगा जो प्रत्येक तीन माह में इन सम्प्रेषण गृहों एवं अन्य बाल देखरेख संस्थाओं का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई को सौपेंगे। साथ ही नियमानुसार सम्प्रेषण गृहों में सुधार और विकास हेतु आवश्यक सुझाव भी देंगी। बाल संरक्षण संस्थाओं में शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य आदि सेवायें पुनर्वास हेतु शामिल किये जाते हैं, ताकि किशोरों को समाज का एक उपयोगी नागरिक बनाया जा सके। सम्प्रेषण गृह निवासरत किशोरों की व्यक्तिगत देखरेख कार्ययोजना तैयार कर उनके पुनर्वास हेतु कार्य कर रहे हैं। एक वयस्क व्यक्ति जब अपराध कारित करता है तो उसके मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में की जाती है। उसी प्रकार जब कोई किशोर विधि का उल्लंघन करता है, तो उसके प्रकरण की सुनवाई जिले में स्थापित किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से की जाती है। जिसमें एक प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत 2 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 में किशोर द्वारा कारित अपराधों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है।

किशोर या बालक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। जेजे अधिनियम ने नामकरण को किशोर से बदलकर बालक या क़ानून के साथ विरोध में बालक कर दिया।

साहित्य समीक्षा

अध्ययनकर्ता के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित जो अध्ययन शोध किये जा चुके हैं, उनमें कुछ मुख्य का विश्लेषण निम्नलिखित है :

किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 में किशोर न्याय बोर्ड में वर्णित धाराओं में कार्य करने की विधि पर ध्यान दिया गया है, जिससे किशोर को उस नियम के तहत कार्यवाही की जा सके।

निछोले लिंड (2013) ने अपने अध्ययन में बालकों द्वारा किये गये अपराध में मानसिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन किया है। जिसके अनुसार परिवार का वातावरण बालकों की मानसिक स्थिति के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है एवं मानसिक परिपक्वता भी अपराधी प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। यदि मानसिक

परिपक्वता अधिक होगी तो अपराधी व्यवहार कम होंगे।

फ्रीमैन (2012) के अध्ययन के अनुसार सुधार गृह में अधिकांश बालक निम्न बुद्धि के होते हैं। उन बालकों में सुधार के प्रयास करना आवश्यक होता है, ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके एवं वे समाज में सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके।

शोध प्रविधि : प्रस्तुत शोध में शोध कार्य हेतु सम्प्रेक्षण गृह का अध्ययन किया गया है। भारत में बाल अपराध के ऑकड़ों का अध्ययन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार की वेबसाइट से किया गया है। शोध कार्य के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु द्वितीयक ऑकड़ों का संकलन किया गया है।

अपराध का वर्गीकरण

जेजे अधिनियम बालकों द्वारा किए गए अपराधों को तीन श्रेणियों छोटे, गंभीर एवं जघन्य अपराधों में वर्गीकृत करता है। जघन्य अपराधों के लिए अपवाद प्रदान करता है : जघन्य अपराधों के मामले में 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को वयस्कों के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते कि किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने बालकों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का आकलन किया हो और बालक को प्रमाणित किया हो।

किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) : यह एक न्यायपालिका निकाय है जो जेजे अधिनियम के निरुद्ध किए गए या अपराध के आरोपी बालकों हेतु एक पृथक न्यायालय के रूप में कार्य करता है।

किशोर किसे कहेंगे : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) और संरक्षण अधिनियमए 2015 के अनुसार धारा 2 (35) के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बालक से है। एक ऐसे बच्चे को परिभाषित किया गया है जिसने एक निश्चित आयु प्राप्त नही की हो और विधि के अनुसार जो कि नाबालिग की श्रेणी मे आता है जो भले उसने वयस्क की तरह अपराध का व्यवहार करे, लेकिल कानूनी तौर पर किशोर ही माना जायेगा और उसका विचारण किशोर न्याय के अनरूप किया जाएगा।

किशोर दुर्व्यवहार क्या है : दुर्व्यवहार एक बच्चे के सामान्य और असमान्य व्यवहार मे परिवर्तन है। एक बच्चा आमतौर पर अपराधी अपराध की श्रेणी मे तब आता है जब विधि विरूद्ध कार्यो करता है, तो उसका व्यवहार दुर्व्यवहार कहलाता है। और सामान्य जीवन रेखा से भटक गया है। जब एक किशोर अपराधी को विभिन्न मानकों मे परिभाषित एक आयु ऐसी अवैध और असामाजिक दिखाती है। जो व्यवहार समाज के लिए हानिकारक हो सकता है उसे एक किशोर कहा जा सकता है। अपराधी जो किशोर अपराधी है जो कोई अपराध करते हैं और यह लड़कों और लड़कियों दोनो सहित 18 वर्ष से कम आयु के किशोर अपराधी है। इस अधिनियम अनुसार है :

1 जो किशोर माता-पिता के साथ नहीं रहते हैं।

2 वह किशोर जिस पर नियंत्रण न हो जो कि नियत्रंण से परे हो असाधारण दुर्व्यवहार। बेकार, पाकेटमार और जुआ खेलने वाले।

3 यौन अपराधों में शामिल हो।

4 बाजार से माल चोरी करने वाले।

5 मादक तस्करी में लिप्त एवं चोरी आदि।

विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए कौन-कौन-सी बाल देखरेख संस्थान की स्थापना की जाएगी ?

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत विधि के संघर्षरत बच्चों के लिए राजकीय अथवा गैर राजकीय संस्थानों के माध्यम से निम्न प्रकार के बाल

देखरेख संस्थान की स्थापन करने के प्रावधान किए गए हैं। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 47 के अनुसार राज्य सरकार, स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रत्येक जिले में संप्रेक्षण गृह स्थापित करेगी। सम्प्रेषण गृह अर्थात् ऐसा स्थान जहां किसी विधि के विरूद्ध प्रकरण में संलग्न किशोर जांच लंबित होने तक अस्थाई तौर पर रहेगा, जहां किशोरों के भरण-पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, खेलकूद एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा।

सम्प्रेषण गृह किशोर न्याय बोर्ड में विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों की जांच के लंबित रहने के दौरान बच्चे को अस्थाई रूप से रखने एवं उसकी देखरेख और पुनर्वास के लिए संप्रेषण गृह स्थापित किए जाएंगे।

विशेष गृह किशोर न्याय बोर्ड में विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों की जांच उपरांत यह पाया गया है कि बच्चे ने अपराध किया है एवं बोर्ड द्वारा बच्चे की सुधार हेतु निर्धारित अवधि के लिए बाल देखरेख संस्थान में रखने का निर्णय लिया गया है, तो ऐसे बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के सुधारात्मक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष गृह स्थापित किए जाएंगे।

सुरक्षित अभिरक्षा : किन्ही विशेष श्रेणी के बीज से संघर्षरत बच्चों के मामलों में किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल न्यायालय द्वारा जांच लंबित रहने अथवा जांच पूर्ण होने उपरांत निर्धारित अवधि के लिए रखने एवं सुधारात्मक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षित अभिरक्षा स्थापित की जाएगी।

शोध क्यो :. प्रस्तुत शोध विधि से संघर्षरत किशोरो के पुर्नवास में बाल सम्प्रेक्षण गृह की भूमिका के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है, जिससे शोध को निश्चित दिशा दी जा सके। इसके साथ ही निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाए :

1 नवीन अधिनियम के लागू होने से पूर्व लंबित मामलों की जांच कैसे होगी ?

2 क्या प्रत्येक मामले में सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार किया जाना अनिवार्य है ?

3 किशोर न्याय बोर्ड की बैठक कहां आयोजित की जाएंगी ? बैठक के दौरान किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है ?

4 विधि से संघर्षरत बच्चे के निरुद्धगी के संबंध में किस-किस को सूचना देना आवश्यक है ?

5 बाल सम्प्रेक्षण गृह को प्रभावी बनाने एवं किशोरो में सुधार हेतु सुझाव।

किशोरों द्वारा अपराधों में गिरावट : 2020 के दौरान किशोरों के विरुद्ध कुल 29,768 मामले दर्ज किए गए, जो 8% की कमी दिखाता है। हत्या में 1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जबकि हिंसक अपराध की श्रेणी में अपराधों में 5 प्रतिशत की कमी आई। आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर करने की बढ़ी दर : लगभग 12 लाख मामलों में आरोप पत्र दाखिल की गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोप पत्र की दर 75.8% रही, जो 2019 की तुलना में 12.50% अधिक है। आईपीसी अपराधों के अंतर्गत अत्यधिक आरोप पत्र दाखिल करने वाले राज्य गुजरात (1%), केरल (94.9%) एवं तमिलनाडु (91.7%) थे। लापता व्यक्तियों की संख्या में 15% की कमी आई। 2019 की तुलना में 2020 में लापता बच्चों में 80% की गिरावट दर्ज की गई।

प्रमुख तथ्य : हमारे देश के कुछ बच्चे बचपन में ही गम्भीर अपराधों व दिल दहला देने वाली घटनाओं को अंजाम देने लेगे हैं जो बेहद चिंताजनक है जिस तरह से किशोर बच्चों के

द्वारा आये दिन आपराधिक घटनाओं को घटित किया जा रहा है, वह सोचने वाली बात है। किशोर अपराध की घटनाएं बार-बार हम सभी से प्रश्न करती है कि क्या इन घटनाओं के लिए वास्तव में कच्ची मिट्टी के बने बच्चे जिम्मेदार हैं या कहीं न कहीं हमारे लालन-पालन व सामाजिक माहौल में व्याप्त कोई कमी जिम्मेदार है।

आज हमारे सामने सवाल उठता है कि किशोर उम्र में अपराध करने के लिए बच्चों को कौन-से हालात उकसा रहे हैं ऐसा गलत कार्य करने के लिए बच्चों में प्रेरणा कहाँ से आ रही है। क्या बच्चों के माता-पिता के लालन-पालन में कोई कमी रह गयी थी, क्या इसका कारण परिवार के सदस्य, पारिवारिक मित्र, शिक्षकों का बच्चों के साथ व्यवहार की कोई कमी तो नहीं, जिसके चलते कुछ बच्चे गलत राह पर निकल जाते है वैसे हमारे देश में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और कुछ धर्मों में तो बच्चों की पूजा तक की जाती है वैसे भी बच्चे देश का भविष्य व अनमोल राष्ट्रीय धरोहर होते है और आने वाले समय में उनके मजबूत कंधों पर देश व परिवार के भविष्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इसलिए सरकार, समाज, माता-पिता, अभिभावक के रूप में हम सभी का एक नैतिक कर्तव्य है कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये उन्हें स्वस्थ्य सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण में बड़ा होने का अवसर प्रदान करे। किशोरों द्वारा किये गये अपराध लगातार वर्ष दर वर्ष बढ़ रहे हैं। समाजीकरण उचित तरीके से न हो पाने के कारण किशोरों की मनोवृत्ति परनकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे उनमें आपराधिक प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। इस शोध में पुनर्वास में बाल सम्प्रेक्षण गृह की भूमिका कानून का सिमटता दायरा के कारण बच्चों में अपराध के कारकों के आधार सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक हो सकते हैं। सामाजिक शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी, बच्चों के आस-पास का वातावरण, पारिवारिक वातावरण, निर्धनता आदि अनेक कारकों के कारण बच्चों में अपराध करने की मनोवृत्ति का विकास होता है। इन असामाजिक, अवांछनीय कृत्यों में संलग्न होने के कारण उनका विकास नहीं हो पाता है। ये बच्चे समाज में सरकार के लिए चुनौतियों के रूप में सामने आते हैं। जिनके पुनर्वास हेतु सम्प्रेक्षण गृह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है एवं किशोर अधिनियम 2015 की भूमिका भी अहम है।

किशोरों के समग्र विकास हेतु किशोर अधिनियम 2015 की भूमिका

प्रत्येक मामले में सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार किया जाना अनिवार्य है, जिसमें बच्चे की आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और अन्य सुसंगत कारकों के अनुसार बच्चे की परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत जानकारी सम्मिलित होती है। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा बच्चे के मामले में उपयुक्त निर्णय लेते समय उक्त रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों को संज्ञान में लिया जाता है।

किशोर न्याय बोर्ड की बैठक कहां आयोजित की जाएगी ? बैठक के दौरान किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियमए 2015 के नियम 6 (1) के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड अपनी बैठक संप्रेषण गृह में या संप्रेषण गृह के निकट स्थित स्थान पर या विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए पंजीकृत किसी संस्थान के उपयोग के परिसर में आयोजित करेगा। किसी भी परिस्थिति में बोर्ड किसी न्यायालय या कारागार

परिसर में अपनी बैठक के आयोजन नहीं करेगा। नियम 6 (2) (3) के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड सभी कार्य दिवसों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य समय अनुरूप न्यूनतम छः घंटे अपनी बैठकें आयोजित करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि जब मामले की सुनवाई चल रही हो तब कमरे में ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित न रहे जिसका उस मामले से कोई संबंध न हो। बैठक के दौरान केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी, जो मामले से जुड़े हुए हैं और जिनकी उपस्थित में बच्चा सहज महसूस करे।

इसके साथ ही विधि से संघर्षरत बच्चे के निरुद्धगी के संबंध में किस-किस को सूचना देना आवश्यक होना चाहिए। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2015 के नियम 8 (2) के अनुसार बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चे के निरूद्धगी के संबंध में निम्न को सूचित किया जाएगा :

- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे के माता-पिता या संरक्षक को बच्चे के निरुद्ध किए जाने की सूचना तथा बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख, समय तथा माता-पिता एवं संरक्षक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने के बारे में अवगत कराएगा।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को बच्चे को निरूद्ध किए जाने की सूचना से अवगत कराएगा ताकि बच्चे की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके।

विधि से संघर्षरत बच्चों की निरुद्धगी के संबंध में क्या विशेष प्रावधान हैं। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2015 के नियम 8 (3) में पुलिस द्वारा विधिक संघर्षरत बच्चों की निरुद्धगी के संबंध में निम्न विशेष प्रावधान किए गए हैं :

- विधि से संघर्षरत बच्चे को किसी भी परिस्थिति में हवालात में नहीं भेजा जाएगा और न ही ऐसे बच्चे को हथकडी, जंजीर या बेड़ियां पहनाई जायेंगी तथा बालक पर किसी भी प्रकार के दबाव या बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- बच्चे को तुरंत पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंपा जाएगा तथा पुलिस अधिकारी निरुद्ध किये गये बच्चे को 24 घंटे में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं होने की स्थिति में बच्चे को संप्रेषण गृह में रखा जायेगा।
- बच्चे को यथास्थिति उपयुक्त चिकित्सीय सहायता, दुभाषिया या विशेष शिक्षक की सहायता या ऐसी कोई अन्य सहायता उपलब्ध करवायेगा जिसकी आवश्यकता हो।
- बच्चे को तुरंत उन आरोपों की जानकारी उसके माता-पिता या संरक्षक के माध्यम से दी जाएगी जो आरोप उस पर लगाये गये हैं और यदि कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उसकी प्रति बच्चे को उपलब्ध करवाई जाएगी या पुलिस रिपोर्ट की प्रति बच्चे के माता-पिता या संरक्षक को दी जाएगी।

- बच्चे को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

बच्चों को सजा नहीं बल्कि सुरक्षा और देखभाल की जरूरत

मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि पारिवारिक वातावरण और आसपास की परिस्थितियां मनुष्य के चरित्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं बचपन में ही व्यक्ति के आचरण और उसकी आदतें देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वयस्क होने के बाद वह समाज में अपनी कैसी पहचान बनाएगा नकारात्मक परिस्थितियों के कारण कई बच्चे अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं, जो उनके संपूर्ण जीवन को अंधकार के गर्त में धकेल देता है बचपन में किए गए उनके यही अपराध आगे चलकर उन्हें बड़ा अपराधी बना सकते हैं किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अपनाई गई आदतों को छोड़ पाना एक कठिन कार्य होता है और अगर किशोर अपरधियों को उनके कृत्यों के लिए कठोर सजा दी जाए तो वह सुधरने से कहीं ज्यादा जिद्दी और खतरनाक हो जाते हैं बचपन में की गई गलतियों के प्रभाव उनके आने वाले जीवन पर ना पड़ेंए इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत में ऐसे अपराधियों को बाल अपराधियों की श्रेणी में रखा गया है

बाल सम्प्रेक्षण गृह की भूमिका

किशोरों में अपराध को रोकने के लिए सबसे आवश्यक है, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाये। इस दिशा बाल सम्प्रेक्षण गृह में विधि के साथ संघर्षरत् किशोरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं। काउंसलिंग की व्यवस्था, नियमित स्वास्थ जांच जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय कर संस्थागत बालकों का प्रतिमाह स्वास्थ जांच कराया जाता है संस्थागत गतिविधियों में बच्चों की दिनचर्या के अतिरिक्त बालकों से प्रेमपूर्वक व्यवहार, उनसे व्यक्तिगत अनुशासन का पालन कराना तथा योगा, प्रार्थना, नाश्ता, भोजन, भजन, सृजनात्मक गतिविधियां, व्यक्तिगत साफ-सफाई एवं किचन गार्डनिंग इत्यादि सम्मलित होते हैं।

बाल अपराध रोकथाम के उपाय

1 समुचित पालन पोषण

मारपीट और अपमान बहुधा बालक को अपराध की राह पर ले जाता है। घर में वातावरण प्रेमपूर्ण होना चाहिए दूसरे बालक की जिज्ञासाओं के समाधान में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है कोई बात पूछने पर बालक को झिड़क दिया जाए या उससे झूठ बोल देने पर प्रभाव बडा बुरा पडता है। बहुधा बालकों से यौन जिज्ञासाओं के विषय में झूठ बोल दिया जाता है बालक जब अपने साथियों या घर के नौकरों से सही बात को जान लेता है, तब उन पर माता-पिता का झूठ खुल जाता है।

2 स्वस्थ मनोरंजन

मनोरंजन का व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है स्वस्थ मनोरंजन के अभाव में बालक की अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्सहन मिलता है।

3 मनोवैज्ञानिक दोषों का उपचार

मनोवैज्ञानिक दोष अपराध के महत्वपूर्ण कारण हैं। अत: बालकों को अपराधों से रोकने के लिए उनके मनोवैज्ञानिक दोषों का उपचार अत्यंत आवश्यक है इसके लिए विद्यालयों में लगे हुए मनोवैज्ञानिक क्लिनिक होना चाहिए जो बालकों के विषय में उचित देखभाल कर सकें तथा

परामर्श दे सकें। आज का किशोर देश का भविष्य है, परंतु अगर वही किशोर अपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाये तो कल ये एक बड़े अपराधी बन सकते हैं। ये देश के लिए गंभीर समस्या न बने इसके लिए आवश्यक है कि किशोरों को विकास के अवसर उपलब्ध कराये जाएँ और इस समस्या पर नियंत्रण किया जाये। उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न असामाजिक गतिविधियों में पाये गये किशोरों के विकास के लिए सुझाव होने चाहिए। जिसमें बालकों को नैतिक शिक्षा, बाल सम्प्रेक्षण गृह द्वारा बालकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, बालकों के कौशल के बारे में जानकर उनके कौशल का विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। बालकों की मानसिक स्थिति एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु उनको समय-समय पर काउंसलिंग होना चाहिए।

निष्कर्ष

आधुनिक जीवन शैली में भी इन मूल्यों को समाजिक ढंग से समाहित करके अनेक गतिरोधों को समाप्त किया जा सकता है। गहरे अपनेपन के आधार पर अभिभावकों और बच्चों के बीच की दूरी और दरार को मिटाकर वर्तमान समस्याओं से उपजते बाल अपराध से निजात पाई जा सकती है। अतः हम बच्चों को उचित संस्कार देने व उनमें मानवीय मूल्यों की स्थापना करने के लिए सजग, सचेष्ट और सक्रिय होना होगा, तभी इस बिगडते बचपन और भटकते राष्ट्र के नव पीढी के कर्णधारों का भाग्य और भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। बालकों के प्रति अपराधों के सम्बंध में उन अपराधों को उत्प्रेरित करने वाले सहायता देने वाले अपराधियों को संरक्षण देने वाले बालक के प्रति किये गये अपराध के साक्ष्य से छेड़छाड़ करने वाले सभी की जड़ तक वास्तविक विवेचना कर वैसे लोगों को भी सजा सुनिश्चित करवाई जानी चाहिये। इसी प्रकार बालकों के किशोरों के द्वारा अपराधों के सम्बंध में उन अपराधों को उत्प्रेरित करने वाले लॉजिस्टिक प्रबंध करने-करवाने वाले अपराधियों को संरक्षण देने वाले बालक के प्रति किये गये अपराध के साक्ष्य से छेड़छाड़ करने वाले सभी की जड़ तक वास्तविक विवेचना कर वैसे लोगों को भी सजा सुनिश्चित करवाई जानी चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ

1 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, द्विभाषी संस्करण, इलाहबाद लॉ पब्लिकेशन, अक्टूबर 2016

2 मानवेन्द्र, संविधान प्रदत्त बाल अधिकार, किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015

3 दैनिक जागरण अमर उजाला राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित आलेख

4 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो